अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाए

क्रमांक–एफ.15(6)(13)विधि/ आईसीडीएस/2013/ जयपुर, दिनांकः

प्रभारी अधिकारी (वाद) एवं
समस्त उपनिदेशक, मबावि/
समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी

विषयः– दिनांक 12.01.2019 को आयोजित पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य में न्यायालयों में लम्बित मामलों एवं प्री–लिटिगेशन के मामलों के लिए **दिनांक 12.01.2019** को पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जायेगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में लम्बित अपीलों में आपके कार्यालय से संबंधित भत्ते एवं पेंशन भत्तों से संबंधित अपीलों का जिनका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में वांछनीय हैं कि सूची दिनांक ~~09.01.2019~~ 10.01.2019 तक निदेशालय को उपलब्ध करावें ताकि इन्हे राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जा सके।

उक्त निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें, ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अति. निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एफ.15(6)(13)विधि/ आईसीडीएस/2013/7141-154 जयपुर, दिनांकः 10/1/19

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं।
4. नोडल अधिकारी एवं उप निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आप नियत दिनांक को साथ रहकर आवश्यक सहयोग करे।
5. नोडल अधिकारी एवं उप निदेशक जोधपुर को भेजकर लेख है कि आप माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में नियत दिनांक को साथ रहकर सूचीबद्ध प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिवक्ता व प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक आगामी कार्यवाही करावे।
6. एसीपी कम्प्यूटर सेल को भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.8(1) विधि–2 / विरसं.(115) / 2017 / 1012 जयपुर, दिनांक 09/01/19

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,

प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव,

विषयः– पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन बाबत्।

सन्दर्भः– अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक प.1(12)(2)अधि / संस्था / 2013 / 80 दिनांक 03.01.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य में न्यायालयों में लम्बित मामलों एवं प्री–लिटिगेशन के मामलों के लिए दिनांक 12 जनवरी, 2019 को पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में लम्बित अपीलों में आपके विभाग से संबंधित भर्ती और पेंशन भत्तों से संबंधित अपीलों का जिनका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में वांछनीय है। सूची दिनांक 09.01.2019 तक उक्त अधिकरण को उपलब्ध करावें ताकि इन्हे दिनांक 12.01.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकरण द्वारा सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जा सके।

यह भी अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर को आज ही अवगत कराने का श्रम करें। साथ ही चिन्हित प्रकरणों की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर को भी प्रेषित कराने का श्रम करें।

संलग्न : अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,
जयपुर का अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 03.01.2019।

भवदीय

(संजय कुमार)
विशिष्ट शासन सचिव,विधि
(वि.र.से)

गिरी राज सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव

अध्यक्ष
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
मिनी सचिवालय, प्रथम तल,
बनीपार्क, जयपुर-302 016
टेलीफैक्स : 91-141-2202471
ई-मेल : <chairman-rcsat-rj@nic.in>

मुख्य सचिव कार्यालय
राजस्थान, जयपुर
प्राप्ति संख्या 328143/19/CS
दिनांक 04.01.2019

(D. B. Gupta)
Chief Secretary

अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक : प.1 (12)(2) अधि./संस्था/2013 दिनांक 80 / 03.01.19

विषय :- पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन बाबत्।

संदर्भ :- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 27085 - 27102 दिनांक 19.09.2018 एवं क्रमांक 658 दिनांक 30.11.2018 के क्रम में।

आदरणीय श्री डी.बी. गुप्ता जी

मैं आपका ध्यान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भित पत्रों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। दिनांक 12.01.2019 को आयोजित की जाने वाली लोक अदालत में भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामलों से संबंधित प्रकरण रखे जाने है। इन प्रकरणों में वाद--प्रतिवाद एवं असहमति के कारण लोक अदालत में सम्मति आधारित निर्णय पारित करना संभव नहीं हो पा रहा है।

लोक अदालत की सफलता के लिए दोनो पक्षों की सहमति आवश्यक है। अतः अधिकरण में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबन्धित लम्बित अपीलों के संबंध में आग्रह है कि समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को अधिकरण में उनके विभाग से संबंधित अपीलों के निस्तारण हेतु लोक अदालत की भावना के अनुरूप दिनांक 09.01.2019 तक सूची प्रस्तुत कराने हेतु निर्देशित करावें। संबंधित विभाग की दिनांक 09.01.2019 तक सहमति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 12.01.2019 को लोक अदालत का अधिकरण में आयोजन संभव नहीं हो पायेगा।

सादर।

सद्भावी

(गिरी राज सिंह)

श्री डी. बी. गुप्ता,
मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।